International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =7.938, January-June 2024, Submitted in March 2024, ISSN -2393-8048

राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के प्रशासनिक प्रभावों का मूल्यांकनः स्थानांतरण के विशेष संदर्भ में

डा विशाल छाबड़ा, सह आचार्य, लोक प्रशासन कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, टांटिया विष्वविद्यालय, श्रीगंगानगर

संदर्भ

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन स्वाभाविक प्रघटना है परन्तु पिछले कुछ दशकों से भारतीय राजनीति में सत्ता परिवर्तन जहां एक और कुछेक प्रशासनिक सुधारों को जन्म देता है वहीं दूसरी और कुछ अस्वस्थ परम्पराओं का भी वाहक बनने लगा है। जिनमें से प्रमुख है राजनीति में सत्ता परिवर्तन के साथ प्रषासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के दुर्भावनापूर्ण स्थानांतरण। अधिकांशतः पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा विभिन्न पदों पर आसीन किए गए अधिकारियों व कर्मचारियों का स्थानांतरण भी किया जाने लगा है जो कि बहुधा जनकल्याण की दृष्टि से न हो कर अपितु सत्तारूढ़ राजनैतिक दल के अपने निहितार्थ होता है। सरकार के बदलते ही बड़े पैमाने पर किए जाने वाले स्थानांतरण सत्ताधारी दल के अहंकार की तुष्टि तो कर सकते हैं परन्तु इनसें लोक हित की पूर्ति किस सीमा तक होती है? यह विचारणीय प्रष्न है।

इसी संदर्भ में राजस्थान में हाल ही में हुए राजनीतिक सता परिवर्तन के पश्चात् भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने 15 दिसम्बर 2023 को शपथ ग्रहण कर कार्य आरम्भ किया। जिसका प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ना भी स्वभाविक था। राजस्थान में भी अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण होने आरम्भ हुए। देखते ही देखते सत्ता परिवर्तन के महज दो माह में ही कार्मिको के बड़ी संख्या में होने वाले स्थानान्तरण ''तबादला उद्योग'' की सूरत में सामने आने लगे। 16 दिसम्बर 2023 से आरम्भ होने वाले भारतीय प्रषासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, राजस्थान प्रषासनिक सेवा व राजस्थान सचिवालयी सेवा सहित केवल पांच संवर्गों के अधिकारियों के स्थानान्तरणों की संख्या 980 तक पहुंच गई। यद्यपि स्थानांतरण अन्य सेवाओं में भी विभन्न स्तरों पर किए गए हैं उदाहरण के लिए उर्जा विभाग और बिजली कम्पनियों में भी 1200 से ज्यादा इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारियों के स्थानान्तरण हुए। जिनमें से कई मामलों में उच्च स्तर पर षिकायत भी पंहुची और इसके बाद उर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने किस की सिफारिष पर किस–किस के तबादले हुए इसकी रिर्पोट भी मांगी है। अकेले चिकित्सा विभाग में 800 से अधिक स्थानांतरण हुए जिनमें सें 250 से अधिक प्रषासनिक चिकित्सा अधिकारी हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी 500 से ज्यादा कार्मिकों को स्थानांतरित किया गया है। परिवहन विभाग में भी 300 से अधिक स्थानांतरण हुए जिनमें से 150 परिवहन निरीक्षक व ज़िला परिवहन अधिकारी हैं।

इतना ही नहीं 16 फरवरी 2024 को भारतीय पुलिस सेवा के 65 अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाता है और मात्र 6 दिन बाद यानि 22 फरवरी 2024 रात को 1 बज कर 30 मिनट पर 24 आई पी एस़ सहित 420 अफसर बदल दिए गए उनमें सें कुछ पुलिस अधीक्षकों नें अपने सरकारी आवास में अभी सामान जमाना आरम्भ ही किया था कि उन्हें पुनः स्थानांतरित कर दिया गया। यहां तक कि उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी के विषिष्ट सचिव को भी पुनः बदल दिया गया 2 फरवरी 2024 को ही लगाए गए श्री जगवीर सिंह के स्थान पर 22 फरवरी को श्री ललित कुमार को लगा दिया गया। इस प्रकार आनन–फानन में अनियोजित रूप से किया गया प्रषासनिक फेरबदल प्रशासनिक तन्त्र में अनावश्यक क्षैतिज गतिशीलता को बढ़ाता है जो कि प्रशासनिक व्यवस्था को न केवल कमज़ोर करता है बल्कि इसके परिणामस्वरूप प्रशासन के राजनीतिकरण के खतरे भी बढ़ने लगते हैं। ऐसे में प्रषासनिक अधिकारियों के मनोबल की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

एक अधिकारी को स्थानांतरण के पश्चात नवीन पद पर जा कर काम काज देखने समझनें में औसतन 4 से 5 दिन का समय लग जाना सामान्य बात है और ऐसे में हम केवल अधोलिखित सूची में वर्णित 980 अधिकारियों के कार्य ग्रहण काल को न्यूनतम 1 दिन भी मान कर चलें तो भी एक अधिकारी को नवीन पद पर सही तरह से आरम्भ करने में अनुमानतः 7 दिन लग जाते हैं इसी आधार पर यदि देखा जाए तो 980 अधिकारियों के सात–सात कार्यदिवसों का योग 6860 (980 गुणा 7 = 6860) होता है और यदि इसे 365 दिनों (एक वर्ष के दिनों कि संख्या) से भाग दें तो ये लगभग 19 वर्ष का समय हो जाता है और यह विषय तब और भी गंभीर हो जाता है जब वर्ष में औसत कार्य दिवस जोकि औसतन 230 होते हैं तो ये लगभग 30 वर्ष का समय हो जाता है। जो केवल स्थानांतरण एवं कार्य ग्रहण करने में लगने वाला समय है।

इसका अभिप्राय यह नहीं है कि स्थानांतरण नहीं होने चाहिए या इन स्थानांतरणों से कोई लाभ नहीं होता किन्तु स्थानांतरण बहुत ही आवष्यक होने पर पूर्णतः विचार–विमर्ष के पष्चात ही होने चाहिए क्योंकि ये न केवल प्रषासनिक कार्य–कुषलता को ही प्रभावित करता है अपितु लोक वित्त पर भी भारी बोझ साबित होते हैं।

क्रम संख्या	दिनांक	अधिकारी	अधिकारियों की संख्या	स्थानांतरण आदेश क्रमांक संख्या
1ण	16/12/2023	राजस्थान प्रशासनिक सेवा	02	प.1(1)कार्मिक/क–4 2024
2ण	05/01/2024	राजस्थान प्रशासनिक सेवा	121	प.1(1)कार्मिक/क–4 2024
3ण	05/01/2024	भारतीय प्रशासनिक सेवा	72	प.1(1)कार्मिक/क–4 2024
4ण	10/01/2024	भारतीय प्रशासनिक सेवा	40	प.1(1)कार्मिक/क–4 2024
5ण	16/01/2024	राजस्थान सचिवालयी सेवा	06	प.5(2)कार्मिक/क–4/2/ 2024
6ण	25/01/2024	राजस्थान सचिवालयी सेवा	11	प.5(2)कार्मिक/क–4/2/ 2024
7ण	25/01/2024	भारतीय प्रशासनिक सेवा	02	प.1(1)कार्मिक/क–4 2024
8ण	26/01/2024	भारतीय पुलिस सेवा	09	प.5(2)कार्मिक/क–1 2024
9ण	31/01/2024	भारतीय पुलिस सेवा	13	प.5(2)कार्मिक/क–1 2024
10ण	01/02/2024	राजस्थान सचिवालयी सेवा	07	प.5(2)कार्मिक/क–4/2/ 2024
11ण	01/02/2024	भारतीय प्रशासनिक सेवा	17	प.1(1)कार्मिक/क–4 2024
12ण	01/02/2024	भारतीय पुलिस सेवा	07	प.5(2)कार्मिक/क–1 2024
13ण	02/02/2024	राजस्थान प्रशासनिक सेवा	10	प.1(1)कार्मिक/क–4 2024
14ण	02/02/2024	राजस्थान प्रशासनिक सेवा	39	प.1(1)कार्मिक/क–4 2024
15ण	04/02/2024	भारतीय प्रशासनिक सेवा	01	प.5(2)कार्मिक/क–1 2024
16ण	05/02/2024	राजस्थान सचिवालयी सेवा	04	प.5(2)कार्मिक/ क–4/2/ 2024
17ण	06/02/2024	भारतीय वन सेवा	44	प.5(3)कार्मिक/क–1 2024
18ण	09/02/2024	राजस्थान प्रशासनिक सेवा	24	प.1(1)कार्मिक/क–4 2024
19ण	09/02/2024	राजस्थान सचिवालयी सेवा	08	प.5(2)कार्मिक/क–4/2/ 2024
20ण	11/02/2024	राजस्थान प्रशासनिक सेवा	02	प.1(1)कार्मिक/क–4 2024
21ण	11/02/2024	भारतीय वन सेवा	06	प.5(3)कार्मिक/क–1 2024
22ण	13/02/2024	भारतीय प्रशासनिक सेवा	33	प.5(1)कार्मिक/क–1 2024
23ण	15/02/2024	भारतीय प्रशासनिक सेवा	11	प.5(1)कार्मिक/क–1 2024
24ण	16/02/2024	भारतीय पुलिस सेवा	65	प.5(2)कार्मिक/क–1 2024
25ण	22/02/2024	भारतीय वन सेवा	05	प.5(3)कार्मिक/क–1 2024
26ण	22/02/2024	राजस्थान प्रशासनिक सेवा	396	प.1(1)कार्मिक/क–4 2024
27ण	22/02/2024	भारतीय प्रशासनिक सेवा	01	प.5(1)कार्मिक/क–1 2024
28ण	22/02/2024	भारतीय पुलिस सेवा	24	प.5(2)कार्मिक/क–1 2024
		योग	**980**	

कार्मिकों का स्थानांतरण किसी भी सेवा में एक अनिवार्य पहलु होता है एवं विभिन्न सरकारों द्वारा समय–समय पर राज्य हित में स्थानांतरण किए भी जाते हैं। परन्तु उच्च स्तर के प्रषासनिक अधिकारियों का दो माह से भी कम अवधि में एक साथ व्यापक स्तर पर स्थानांतरण और जिसमें की स्थानांतरण के पष्चात कार्य ग्रहण अवधि में ही पुनः स्थानांतरण किया जाना किस ओर संकेत देता है?

राजनीति में सत्ता परिवर्तन के साथ स्थानांतरण का एक ऐसा प्रचलन हो गया है जिससे न केवल कार्मिक तन्त्र बल्कि सवैंधानिक पद भी अछुते नहीं रहते है केन्द्र में सत्ता परिवर्तन के साथ बहुत से राज्यों के राज्यपाल भी बदल दिए जाते है केवल इतना ही नही विश्वविद्यालयों के कुलपति तक भी बदल दिए जाते हैं। राजनैतिक सत्ता परिवर्तन के साथ किसी और प्रकार के बदलाव हो या न हो पर बहुधा विभागों के अध्यक्ष अवश्य रूप से बदल दिए जाते हैं। जिससे एक ऐसी कार्यसंस्कृति विकसित हो गई जो न केवल कार्मिक तन्त्र मनोबल को कमज़ोर करती है बल्कि उसमें में कुण्ठा भी पैदा करती है। डॉ सुरेन्द्र कटारिया लिखते हैं कि **चुनी हुई प्रतिनिधि संस्थाओं के प्रति उत्तरदायित्व, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दबाव समूहों के प्रभावों ने प्रशासक की भूमिका को यन्त्रवत् एवं परवश बना दिया है, जिसके कारण उसकी निर्णय लेने की शक्ति कम हो गई है और इस शक्ति को राजनीतिकरण ने पुनः सीमित कर दिया है। इसमें संसदीय शासन प्रणाली से लेकर स्वार्थों से भरी राजनीति तक कई सारे कारक बाधक बनते रहे हैं।** सरकारी संगठनों में राजनीतिक लाभ के लिए अथवा बदले की कार्यवाही के रूप में किए जाने वाले अनावश्यक स्थानांतरणों के कई नकारात्मक प्रभाव होते हैं:

कार्यकुषलता में बाधाः

अनावश्यक स्थानांतरण कर्मचारियों के कायकुषलता में बाधा डाल सकते हैं। यह भ्रम, निर्णय लेने में देरी, और कार्यों को पूरा करने में अक्षमता के लिए कारण बन सकता है क्योंकि कर्मचारियों को नई भूमिकाओं और वातावरणों में अनुकूल होने के लिए समय चाहिए होता है।

संस्थागत ज्ञान की हानिः

प्रत्येक कर्मचारी को समय के साथ–साथ अपनी भूमिका और विभाग के कार्यों से संबंधित ज्ञान और विशेषज्ञता हासिल होने लगती है। अनावश्यक स्थानांतरण इस संस्थागत ज्ञान, विषेषज्ञता और अनुभव की हानि कर सकता है, क्योंकि अनुभव प्राप्त करने पर कर्मचारियों स्थानांतरण हो जाने से उस अनुभव का पूरी तरह लाभ नहीं लिया जा सकता है।

कर्मचारी मनोबल का कम होनाः

अनावश्यक स्थानांतरण कर्मचारियों के मनोबल को कम करता है। यदि कर्मचारियों का स्थानांतरण अनुचित या अन्यायपूर्ण होता है, जोकि अधिकतर सत्ता परिवर्तन के साथ ही होने वाले स्थानांतरणों में होता है तो वे स्वयं को अप्रतिष्ठित एवं कुंठित महसूस करते हैं।

अतिरिक्त लागतः

हर बार जब कोई कर्मचारी नई भूमिका में स्थानांतरित होता है, तो उन्हें अपनी नई भूमिका, जिम्मेदारियाँ, और प्रक्रियाओं के साथ परिचित कराने की आवश्यकता होती है। अनावश्यक स्थानांतरण सरकारों के लिए अतिरिक्त लागत का कारण बन सकते हैं।

गलतियों और भूलों का संभावनाः

कर्मचारियों को नई भूमिकाओं में बार–बार स्थानांतरित करने से, गलतियों और भूलों का संभावना बढ़ सकती है। उन्हें अपनी नई भूमिकाओं के जटिलताओं को समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, जिससे उनके कार्य में गड़बड़ी, देरी, या अनुपालन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

कर्मचारी संबंधों पर नकारात्मक प्रभावः

अनावश्यक स्थानांतरण कर्मचारियों के बीच संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यदि कर्मचारियों को राजनैतिक स्वार्थों के लिए स्थानांतरित किया जाता है, तो वे अपने सहकर्मियों से स्वयं को अलग महसूस करने लगते हैं। अधीनस्थों में भी अधिकारी के प्रति भावना में परिवर्तन दिखाई देने लगता है जब उसे यह ज्ञात हो जाता है कि सरकार परिवर्तन होने पर उसके अधिकारी के स्थानांतरण होने की सम्भावना है।

इन सभी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए ही सरकारी संगठनों में स्थानांतरण समय, प्रषासनिक आवष्यकता और संगठनात्मक हितो के आधार पर ही होने चाहिए न कि राजनैतिक दल के किसी सांसद अथवा विधायक के स्वयं के प्रति निष्ठा के आधार पर। साथ ही स्थानांतरण अपनों को लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने की सोच से हट कर होने चाहिए। पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित लूट पद्धति जैसे हालात न निर्मित हो ये जिम्मेदारी प्रत्येक राजनैतिक दल की है।

सन्दर्भ

1-https://dop.rajasthan.gov.in/writereaddata/orderdetail/20231216125053852823 9Orderof RASdated16-12-2023.pdf
2-https://dop.rajasthan.gov.in/writereaddata/orderdetail/20231216010236966734 9IASorder dated16-12-2023.pdf
3-https://dop.rajasthan.gov.in/writereaddata/orderdetail/20231226015109206995 3RSSorder dated26-12-2023.pdf
4-https://dop.rajasthan.gov.in/writereaddata/orderdetail/20240106125110379599 2Orderof RASdated05-01-2024.pdf
5-https://dop.rajasthan.gov.in/writereaddata/orderdetail/20240110073256368222 9IASorder dated10-01-2024.pdf
6.सुरेन्द्र कटारिया, भारतीय लोक प्रशासन पृ स 56, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2010